Website:- www.dipronline.org email:-
projjn@rediffmail.com,

राजस्थान सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय,झुंझुनू

------

# हरियाणा सीमा पर पुलिस चौकी कायम की जाएगी

## - लाम्बा

झुंझुनू, 10 जून: जिला पुलिस अधीक्षक अजयपाल लाम्बा ने कहा है कि जिले की हरियाणा सीमा पर एक स्थाई पुलिस चौकी कायम की जाएगी ताकि हरियाणा सीमा से आने वाले लुटेरों एवं अपराधिक तत्वों पर सत्त निगरानी रखते हुए अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष प्रयास किए जा सकें। उन्होंने कहा कि जिले की सीमा के कुलोद, काजला और पिलोद में पुलिस नाकाबन्दी तथा हर माह ही आर.ए.सी. की टुकड़ी द्वारा भी सीमा पर नाकाबन्दी का कार्य करवाया जाएगा। वे गुरूवार को यहां प्रेस वार्ता में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि जिले की सीमा से लगते हुए भिवानी व महेन्द्रगढ़ जिलों के पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के साथ भी हर माह अपराधों की रोकथाम पर मिल बैठकर चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि पूर्व में चिड़ावा व खेतड़ी के पुलिस उपाधीक्षक स्तर की संयुक्त बैठकें हरियाणा के अधिकारियों के साथ होती रही हैं। उन्होंने बुधवार को जिले के सूरजगढ़ थानान्तर्गत बलौदा गांव की बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में हरियाणा के चार लुटेरों द्वारा की गई लूट की विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि चरखी दादरी थाना क्षेत्र के तिबाना निवासी परविन्दर जाट पर भिवानी (हरियाणा) में लूट व ट्रेक्टर लूट तथा आर्म्स एक्ट आदि के अपराधिक मुकद्मों में गिरफ्तार करके चालान किया हुआ है जो वहां के न्यायालय में विचाराधीन है। भिवानी जिले के सिवानी निवासी कुलदीप सिहाग वहां का उद्घोषित अपराधी है, जिस पर सिवानी थानें में मुकदमा दर्ज होने के बाद चालान किया हुआ है, जिसमें 7 साल की सजा व 5 हजार रूपये जुर्माना भी किया हुआ है। यह अभी जमानत पर छुटा हुआ है। इसके विरूद्ध आर्म्स एक्ट व अन्य मुकदमें भी दर्ज हैं, जिनमें यह अभी वहां गिरफ्तार नहीं हुआ है। भिवानी निवासी टिंकू उर्फ प्रवीन जाट के विरूद्ध भी भिवानी व चूरू जिले के हमीरवास में आर्म्स एक्ट के मुकदमें दर्ज हैं, जिनमें भिवानी मुकद्में में चालान के बाद मामला न्यायालय में विचाराधीन है, जबकि चूरू जिले के हमीरवास के नामजद मुकद्में में जमानत पर रिहा होने के बाद फरार चल रहा था। प्रवीन की बुधवार को पुलिस के साथ फायरिंग के दौरान बास काजला के समीप मौत हो गई है। मृतक का पोस्टमार्टम झुंझुनू में परिजनों की उपस्थिति में गुरूवार को करवाया गया है। चौथा अपराधी रघु उर्फ राघव हिसार जिले का रहने वाला है।

जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बुधवार बैंक डकेती में इन अपराधियों ने जिस स्विफ्ट कार नम्बर एच.आर.-26 ए.ए.-2530 का उपयोग किया था वह कार गत 30 मई को ही गुडगांव से चुराई थी, जिसका मुकद्मा गुडगांव के सैक्टर पांच थानें में दर्ज है। उन्होंने बताया कि बुधवार की बैंक लूट के बाद बलौदा गांव के सरपंच घनश्याम सिंह, सुमेर सिंह, उम्मेद सिंह और हिम्मत सिंह व अन्य ग्रामीणों ने अपने-अपने वाहनों से लुटरों का पीछा किया और पुलिस को पकड़वाने में भरपूर सहयोग किया। उन्होंने बताया कि बैंक लूट में शामिल दो अभियुक्तों का बी.डी.के अस्पताल में उपचार चल रहा है। उन्होंने बताया कि इन अभियुक्तों से हरियाणा पुलिस भी पूछताछ करके गई है।

------

.....2....



# लुटेरों की गोली से मरा पुलिस जवान चन्द्रभान 25 बार सम्मानित

झुंझुनू, 10 जून: जिले के सूजरगढ़ थाने में तैनात काजला गांव का सिपाही चन्द्रभान बुधवार को बैंक लुटेरों का पीछा करते हुए काजला गांव में एक लुटेरे को पकड़ने के बाद दूसरे लुटेरे की गोली का शिकार

हो गया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई थी। जिला पुलिस अधीक्षक अजयपाल लाम्बा ने बताया कि सिपाही चन्द्रभान को उसकी उल्लेखनीय और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 25 बार जयपुर पुलिस मुख्यालय व जिला पुलिस द्वारा नकद राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया था। उन्होंने बताया कि चन्द्रभान ने मोटर साईकिल व वाहन लूट के अनेक मामलों में हरियाणा में पुलिस टीम के साथ जाकर लुटेरों को पकड़वाने में विशेष भूमिका निभाई थी।

उन्होंने बताया कि 04 जुलाई 1971 को काजला निवासी रामस्वरूप के घर जन्में चन्द्रभान हायर सैकण्डरी तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद 19 सितम्बर 1989 को कोटा शहर में पुलिस में भर्ती हुए थे और वहां से स्थानान्तरित होकर सीकर जिले के नीमकाथाना थाने में अपनी सेवाएं दी और 2000 में इनका स्थानान्तरण सीकर से झुंझुनू हुआ। इन्होंने चिड़ावा व शहर कोतवाली में भी अपनी सेवाएं दी और 30 जनवरी 2009 से सूरजगढ़ थाने में तैनात थे। उन्होंने बताया कि पुलिस महानिदेशक हरीशचन्द्र मीणा शुक्रवार को मृतक चन्द्रभान के घर काजला गांव में उनके परिजनों को ढांढस बंधाने व सांत्वना देने के लिए दोपहर एक बजे के करीब आएंगे।

------

# कार्मिकों की सूचना नहीं भिजवाने पर वेतन बिल रोके जाएंगे

झुंझुनू, 10 जूनः राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा राज्य कर्मचारियों के राज्य बीमा एवं जी.पी.एफ. के सम्पूर्ण कार्य को कम्प्यूटर पर ऑन लाइन करने की कार्यवाही को लेकर जिले के सभी विभागों व स्कूलों के कर्मचारियों का विवरण चाहने के लिए जिला कार्यालय द्वारा निर्धारित फारमेट में सूचना चाही गई है। जिन विभागों व स्कूलों की सूचना अगले सात दिन में प्राप्त नहीं होगी उन विभागों के वेतन बिल आक्षेपित किए जाएंगे।

बीमा विभाग के उप निदेशक योगमित्र दिनकर ने जिले के सभी विभागाध्यक्षों व आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे चाही गई सूचना निर्धारित फारमेट में अगले सात दिन में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि राज्य कर्मचारियों के राज्य बीमा एवं जी.पी.एफ. के सम्पूर्ण कार्य को कम्प्यूटर पर ऑन लाइन किया जा सके। उन्होंने बताया कि सूचना के अभाव में अभियान प्रभावित हो रहा है। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों एवं आहरण वितरण अधिकारियों को आगाह किया है कि किसी विभाग या स्कूल में कार्यरत कर्मचारियों के चाहे गए फारमेट में उनकी सूचना कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई तो ऐसी स्थिति में वित्त विभाग जयपुर के निर्देशानुसार ऐसे कार्यालयों के वेतन विपत्र आक्षेपित किए जाएंगे। असुविधा से बचने के लिए कर्मचारियों की सूचना अविलम्ब भिजवाई जाए।

**लहर कक्ष 15 जून तक पूर्ण करें:** सर्व शिक्षा के जिला परियोजना समन्वयक ने लहर कार्यक्रम के तहत चयनित विद्यालयों के संस्था प्रधानों से कहा है कि वे लहर कक्ष आगामी 15 जून तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लेवें। इस कार्य में विलम्ब किए जाने पर संबंधित संस्था प्रधान के विरूद्ध अनुशानात्मक कार्रवाही अमल में लाई जाएगी।

------

.....3...



# कृषि कनेक्शन के लिए 3 स्टार रेटिंग वाला पम्प सैट ही लगाना होगा

झुंझुनू, 10 जूनः अजमेर विद्युत वितरण निगम के अधीक्षण अभियन्ता एम.एस. खमेसरा ने कहा है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार दिसम्बर 2009 से कृषि कनेक्शन के लिए जारी मांग पत्रों पर किसानों को ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफीसियेन्सी द्वारा प्रमाणित कम से कम 3 स्टार रेटिंग वाला पम्प सेट लगाने तथा ड्रिप/स्प्रिंकलर सिस्टम के स्थापित करने पर ही कृषि कनेक्शन जारी किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि कृषि कनेक्शन जारी होने से पूर्व आवेदक को कृषि विभाग से यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसने बूंद-बूंद सिंचाई स्प्रिंकलर सिस्टम स्थापित कर लिया है तथा एनर्जी एफीसियेन्सी पम्प सेट की जांच निगम के अधिकारियों द्वारा की जाएगी। उन्होंने बताया कि बूंद-बूंद

सिंचाई स्प्रिंकलर सिस्टम से अधिकतम 5 हैक्टर क्षेत्र वाले किसानों को लागत के 70 प्रतिशत तक अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। इस आशय के निर्देश जिला कलेक्टर आलोक गुप्ता ने कृषि विभाग के अधिकारियों को भी दिए हैं।

------

## सर्वेयर के तौर पर नियुक्त शिक्षकों का प्रशिक्षण अब 20-21 जून को

झुंझुनू, 8 जून: साक्षर भारत योजना 2012 के लिए झुंझुनू के उपखण्ड अधिकारी द्वारा सर्वेयर के तौर पर नियुक्त शिक्षकों का प्रशिक्षण अब 20 व 21 जून को आयोजित किया जाएगा। उपखण्ड अधिकारी नरेन्द्र कुमार कोठारी ने बताया कि साक्षरता एवं सतत् शिक्षा निदेशालय के संशोधित कार्यक्रमानुसार अलसीसर एवं झुंझुनू पंचायत समिति क्षेत्र के लिए नियुक्त सर्वेयर शिक्षकों का प्रशिक्षण 20 व 21 जून को प्रातः 10 बजे अलसीसर एवं झुंझुनू पंचायत समिति मुख्यालयों पर आयोजित किया जाएगा और डोर-टू-डोर के सर्वे का कार्य 22 जुलाई से 5 अगस्त तक किया जाएगा। सर्वेयर के तौर पर नियुक्त शिक्षक निर्धारित तिथि को निर्धारित स्थान पर आवश्यक रूप से अपनी उपस्थिति देवें।

------

## उत्तर मैट्रिक छात्रवृति के आवेदन पत्रों की कमियों को दूर करें

झुंझुनू, 10 जून: जिले में संचालित निजी एवं अनुदानित मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र-छात्राओं को मिलने वाली उत्तर मैट्रिक छात्रवृति सत्र 09-10 के आवेदन पत्रों में कमियां पाई गई हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकातिर विभाग के सहायक निदेशक मनफूल सिंह ने बताया कि 31 मार्च 2010 तक आवेदन पत्र जमा कराने वाले छात्र-छात्राएं आगामी 30 जून तक कार्यालय में आकर इन कमियों को दूर करें। 30 जून के बाद अपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा तथा प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे।

------

## उपचार के 48 हजार रूपये भुगतान करने के निर्देश

झुंझुनू, 10 जून: जिला उपभोक्ता मंच ने उदयपुरवाटी की श्रीमती पिंकी देवी शर्मा के परिवाद को स्वीकार करते हुए उसके उपचार पर खर्च हुए 48 हजार 225 रूपये का भुगतान मय 9 प्रतिशत ब्याज के दो माह में करने के निर्देश सहारा इण्डिया बीमा कम्पनी को दिए हैं। मंच के अध्यक्ष पी.एन. खण्डेलवाल, सदस्या मंजू चौहान व सदस्य बनवारी लाल कुलहरी ने निर्णय दिया है कि परिवादी कम्पनी से मानसिक एवं शारीरिक संताप व परिवाद व्यय के रूप में तीन हजार रूपये भी प्राप्त करने का हकदार होगा।

------